NEW WORLD STATE

http://www.newworldstate.org http://www.newworldstate.online http://newworldstate.net
http://www.newworlstate.eu http://newworldstate.com http://www.newworldstate.cloud

ग्रह के लोकतंत्रों के संविधानों से प्रेरणा लेते हुए, इतालवी गणराज्य के संविधान से जिससे हमने पर्याप्त प्रेरणा औरमॉडल लिया है, औरहमारे पूर्वजों के मूल्यों से, सामान्य भलाई की उपलब्धि के पक्ष में औरजीवन, शांति, मानव स्वास्थ्य की रक्षा औरग्रह के धनऔरजैव विविधता की सुरक्षा के अविभाज्य औरशौर-परक्राम्य मूल्यों की गारंटी देने के लिए जिसमें हमरहते हैं, एकऐसे विश्व राज्य का निर्माण करने की आवश्यकता है जो किसी भी स्वार्थी शोषण से दूर हो औरप्रकृति की आत्मा औरउसके अपरिवर्तनीय कानूनों के इनकार से दूर हो।

जिस ग्रह पर हमरहते हैं, उसका प्रशासन, भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए, इससोच के साथ किया जाना चाहिए कि व्यक्तियों औरसमुदाय की आवश्यकताओं की रक्षा, उनलोगों द्वारा जुनून औरनिस्वार्थता के साथ की जानी चाहिए जो दूसरों को अपने समान ही प्यार करने में सक्षम हों, तथा उच्च नैतिक औरआध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित हों।

लोगों के स्वार्थ औरमात्र व्यक्तिगत आत्म-पुष्टि ने युद्ध, विभाजन औरलाखों मौतें पैदा की हैं।

पृथ्वी का शोषण, ऐसी प्रौद्योगिकियों के द्वारा जो आवश्यक स्थिरता का सम्मान नहीं करतीं, हमारे ग्रह को नष्ट कररही हैं, तथा नईपीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं।

रोगों की प्राथमिक रोकथाम, जैसे कि उचित स्वास्थ्य शिक्षा, का अभाव, लोगों को दीर्घकालिक दीर्घकालिक रोगी बना रहा है।

सभी की सुरक्षा के लिए, हमें तत्काल एकनएप्रतिमान की शुरुआत करने की आवश्यकता है, जिसका प्रबंधन जनता द्वारा किया जाए, नकि उनआर्थिक शक्तियों द्वारा, जो पृथ्वी को आत्म-विनाश की ओरले जा रही हैं।

यहां संप्रभु विश्व राज्य "नएविश्व राज्य" के गठनकी आवश्यकता है जहां हर कोई खुद को पहचानता है। इसे व्यक्तिगत राज्य स्वायत्तता का सम्मान करते हुए, मूल्यों का प्रकाश स्तंभ तथा मानव जाति औरसमस्त सृष्टि की सुरक्षा के उद्देश्य से कार्य करने का दिशा-निर्देशक होना चाहिए।

इसविश्व संस्था की नैतिक वैधता प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र औरबिना शर्त आसंजन होगा जो इनमूल्यों में खुद को पहचानता है औरजो संप्रभु विश्व राज्य "नएविश्व राज्य" का नागरिक होने पर गर्व करता है, जिसमें सत्य, स्वच्छता औरपारदर्शिता के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है, जिसका किसी भी सत्ता संगठन द्वारा शोषण नहीं किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति जो विश्व नागरिक बनना चाहता है, उसे पहचान पत्र औरपासपोर्ट जारी करके राज्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा। लोगों के निर्देश औरसंकल्प एककॉर्पस आईयूरिस का निर्माण करेंगे जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ग्रह के विकल्पों का मार्गदर्शन करेगा। ग्रह के सभी राज्य, राज्य परिषद में अपने प्रतिनिधियों को नामित करके हमारी परियोजना में शामिल हो सकेंगे, जो विश्व राज्य के नागरिकों की सभा द्वारा तयदिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए औरउनका पालन करते हुए, वीटो के अधिकार के बिना व्यक्तिगत राष्ट्रों की आवश्यकताओं को व्यक्त करेंगे । राज्यों की परिषद की अध्यक्षता विश्व राज्य के

राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए, सभी से हमेशा गैर-स्वार्थी विकल्प चुनने का आग्रह करेंगे, जिसमें ग्रह का सतत भविष्य, समस्त मानवता का सम्मान और लोगों के प्रत्यक्ष विचार-विमर्श हमेशा उनके सामने होंगे। घटक चरण में उपस्थित लोग कैव का चुनाव करते हैं। विश्व राज्य "न्यू वर्ल्ड स्टेट" के अध्यक्ष के रूप में। डॉ. साल्वाटोर निकोलो फ़िलिपो फेरो इन्फ्रांका।

इस अधिनियम का अनुसमर्थन, जो इसे पूर्ण वैधता प्रदान करेगा, व्यक्तिगत नागरिकों की ऑनलाइन मंच पर भागीदारी द्वारा चिह्नित किया जाएगा, जो संप्रभु विश्व राज्य "न्यू वर्ल्ड स्टेट" में शामिल होने के समय इस संविधान अधिनियम को मंजूरी देंगे।

संप्रभु विश्व राज्य

“नएविश्व राज्य” का संविधान

सारांश

संप्रभु विश्व राज्य **"नए विश्व राज्य" का संविधान**.....3

मौलिक सिद्धांत 5

भाग I नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य.....7

शीर्षक I नागरिक संबंध 7

शीर्षक II नैतिक-सामाजिक संबंध..... 11

शीर्षक III आर्थिक संबंध..... 12

शीर्षक IV राजनीतिक संबंध..... 15

भाग II राज्य संगठन..... 17

शीर्षक I लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति 17

खंड I. लोकप्रिय भागीदारी 17

खंड II. कानूनों का निर्माण. 19

शीर्षक II विश्व राज्य का राष्ट्रपति..... 19

शीर्षक III राज्य का संगठन..... 21

खंड I. सरकार..... 21

खंड II. लोक प्रशासन। 22

खंड III. सहायक निकाय. 22

शीर्षक IV न्यायपालिका 23

खंड I. क्षेत्राधिकार प्रणाली। 23

खंड II. अधिकार क्षेत्र पर नियम..... 24

शीर्षक V संवैधानिक गारंटी 26

खंड I. संवैधानिक न्यायालय. 26

खंड II. संविधान का संशोधन - संवैधानिक कानून। 27

मौलिक सिद्धांत

कला। 1.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" एकवैश्विक राष्ट्र है जो सामान्य भलाई की उपलब्धि पर स्थापित है।

संप्रभुता जनता की है, जो इसका प्रयोग इससंविधान के स्वरूपों औरसीमाओं के भीतर करती है। किसी विशिष्ट भू-भाग पर कब्जे का सिद्धांत, जो पूर्ववर्ती राष्ट्रों के अस्तित्व का आधार रहा है, को मनुष्य, प्राणियों औरब्रह्माण्ड का निर्माण करने वाली सभी विद्यमान चीजों के मूल्य के अलंघनीय सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तथा यहकि संवेदनशील प्राणियों को भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए सुरक्षा औरसंरक्षण हेतु बुलाया गया है। विश्व राज्य के नागरिक इनमूल्यों से अपनी पहचान रखते हैं औरउनका स्वतंत्र अनुपालन नएविश्व राज्य के अस्तित्व का आधार स्तंभ है। ये मूल्य नईविश्व राज्य की नींव हैं औरउसके अस्तित्व को वैध बनाते हैं, जो ग्रह की आबादी के महत्व औरमूल्य से जुड़ा हुआ है जो इसका पालन करता है, नकि व्यक्तिगत राज्यों औरएकविशिष्ट क्षेत्रीयता से संबंधित क्षेत्रीयता की अवधारणा से। विश्व राज्य से आग्रह किया जाता है कि वहमौजूदा राज्यों से साझा आध्यात्मिक, नैतिक औरआचारिक मूल्यों का सम्मान औरसंरक्षण करने का आग्रह करे, जिनका उद्देश्य संपूर्ण ग्रह, ब्रह्मांड की सभी अभिव्यक्तियों औरवैश्विक सुरक्षा की सुरक्षा करना है।

कला। 2.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" एकव्यक्ति के रूप में औरउनसामाजिक समूहों में जहां उसका व्यक्तित्व विकसित होता है, मनुष्य के अनुल्लंघनीय अधिकारों को मान्यता देता है औरउनकी गारंटी देता है, तथा राजनीतिक, आर्थिक औरसामाजिक एकजुटता के अविभाज्य कर्तव्यों की पूर्ति की अपेक्षा करता है।

कला। 3.

सभी नागरिकों को समानसामाजिक सम्मान प्राप्त है तथा वे लिंग, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार, व्यक्तिगत औरसामाजिक स्थितियों के आधार पर भेदभाव किए बिना कानून के समक्ष समान हैं।

संप्रभु विश्व राज्य "नएविश्व राज्य" का कार्य उनसभी आर्थिक औरसामाजिक बाधाओं को हटाने को बढ़ावा देना है, जो नागरिकों की स्वतंत्रता औरसमानता को सीमित करके, मानव व्यक्ति के पूर्ण

विकास औग्रह के राजनीतिक, आर्थिक औसामाजिक संगठन में सभी की प्रभावी भागीदारी को बाधित करते हैं।

कला। 4.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" सभी नागरिकों के लिए काम करने के अधिकार औउनके मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है औबढ़ावा देता है तथा उनस्थितियों को बढ़ावा देता है जो इस अधिकार को व्यक्ति के आत्म-साक्षात्कार औखुशी की प्राप्ति के लिए प्रभावी बनाती हैं। प्रत्येक नागरिक का यहकर्तव्य है कि वह अपनी संभावनाओं औअपनी पसंद के अनुसार ऐसा कार्यकलाप या कार्य करे जो समाज की भौतिक औआध्यात्मिक प्रगति में योगदान दे।

कला। 5.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" ग्रह के अलगअलराज्यों की राज्य स्वायत्तता को मान्यता देता है औबढ़ावा देता है।

कला। 6.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" विशिष्ट प्रावधानों के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है।

कला। 7.

राज्य, कैथोलिक चर्च औअन्य धार्मिक संप्रदाय, प्रत्येक अपने-अपने क्रम में स्वतंत्र औसंप्रभु हैं। उनके संबंध अनुमोदित समझौतों द्वारा शासित होते हैं। उनके संशोधनों को दोनों दलों द्वारा स्वीकार किया गया है, तथा इसके लिए किसी संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

कला। 8.

विश्व राज्य के समक्ष सभी धार्मिक संप्रदाय समान रूप से स्वतंत्र हैं।
कैथोलिक के अलावा अन्य धार्मिक संप्रदायों को अपने स्वयं के विधानों के अनुसार संगठित होने का अधिकार है, जबतककि वे इससंवैधानिक चार्टर की कानूनी प्रणाली के साथ संघर्ष नहीं करते हैं। राज्य के साथ उनके संबंध संबंधित प्रतिनिधियों के साथ समझौतों के आधार पर कानून द्वारा विनियमित होते हैं।

कला। 9.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" संस्कृति औरवैज्ञानिक औरतकनीकी अनुसंधान के विकास को बढ़ावा देता है। यह पृथ्वी के भूदृश्य, वनस्पति एवं जीव-जंतुओं तथा ऐतिहासिक एवं कलात्मक विरासत की रक्षा करता है तथा सभी की वैश्विक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की रक्षा करता है।

कला। 10.

कानूनी प्रणाली आधारऔर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों के अनुरूप होती है, बशर्ते कि वे इससंवैधानिक चार्टर के सिद्धांतों औरसामान्य भलाई के वैध हितों के साथ संघर्ष नकरें।
किसी व्यक्ति को, जो अपने देश में इससंविधान द्वारा गारंटीकृत लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने से रोका जाता है, कानून द्वारा स्थापित शर्तों के अंतर्गत विश्व राज्य के समर्थन का अधिकार है।
राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण या अभियोजन की अनुमति नहीं है।

कला। 11।

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" युद्ध को अन्य लोगों की स्वतंत्रता पर आक्रमण के साधन के रूप में औरअंतर्राष्ट्रीय विवादों को हलकरने के साधन के रूप में अस्वीकार करता है; राष्ट्रों के बीच शांति, न्याय औरवैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

कला। 12.

संप्रभु विश्व राज्य "न्यू वर्ल्ड स्टेट" के ध्वज में ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है जिसके शीर्ष पर **"न्यू वर्ल्ड स्टेट" शब्द डाला जाता है ।**

भाग।

नागरिकों के अधिकार औरकर्तव्य

शीर्षक।

नागरिक संबंध

कला। 13.

व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुल्लंघनीय है। न्यायिक प्राधिकारी के तर्कसंगत आदेश के अलावा औरकेवल कानून द्वारा प्रदत्त मामलों औरतरीकों में ही किसी भी प्रकार की हिरासत, निरीक्षण या व्यक्तिगत

तलाशी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी अन्य प्रतिबंध की अनुमति नहीं है। विश्व राज्य मानव के अलंघनीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए, पूरे ग्रह पर इसअधिकार को मान्यता देता है औरबढ़ावा देता है।

कला। 14.

घर अलंघनीय है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए निर्धारित गारंटियों के अनुसार कानून द्वारा स्थापित मामलों औरतरीकों को छोड़कर, कोई भी निरीक्षण, तलाशी या जब्ती नहीं की जा सकती।

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए या आर्थिक एवं राजकोषीय उद्देश्यों के लिए किए गए निरीक्षण एवं जांच को कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

कला। 15.

पत्राचार औरसंचार के हर अन्य रूप की स्वतंत्रता औरगोपनीयता अनुल्लंघनीय है। उनकी सीमाएं केवल न्यायिक प्राधिकरण द्वारा कानून द्वारा स्थापित गारंटियों के साथ प्रेरित कार्य के माध्यम से ही हो सकती हैं।

कला। 16.

विश्व राज्य का प्रत्येक नागरिक विश्व के किसी भी भाग में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है औरनिवास कर सकता है, सिवाय उन सीमाओं के जो कानून सामान्यतः स्वास्थ्य या सुरक्षा के कारणों से निर्धारित करता है।

कला। 17.

नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निहत्थे एकत्र होने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों पर बैठकों की पूर्व सूचना अलगअलगराज्यों के प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए, जो केवल सार्वजनिक सुरक्षा के प्रमाणित कारणों से ही उनपर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

कला। 18.

नागरिकों को बिना किसी अनुमति के, उनउद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से जुड़ने का अधिकार है, जो मानव के अलंघनीय अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों द्वारा व्यक्तियों के लिए निषिद्ध नहीं हैं। गुप्त संगठन तथा वे संगठन जो सैन्य औरया सशस्त्र संगठनों के माध्यम से, यहां तककि अप्रत्यक्ष रूप से भी, राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, प्रतिबंधित हैं।

कला। 19.

प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी रूप में, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, अपने धार्मिक विश्वास को स्वतंत्रतापूर्वक मानने, उसका प्रचार करने तथा निजी या सार्वजनिक रूप से पूजा-अर्चना करने का अधिकार है, बशर्ते कि ये रीति-रिवाज अच्छे नैतिक मूल्यों औरमानव के अलंघनीय अधिकारों के विपरीत नहों।

कला। 20.

किसी संघ या संस्था का चर्च संबंधी चरित्र औरधार्मिक या पंथ संबंधी उद्देश्य उसके गठन,कानूनी क्षमता औरकिसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए विशेष विधायी सीमाओं या विशेष वित्तीय बोझ का कारण नहीं हो सकता।

कला। 21.

प्रत्येक व्यक्ति को भाषण, लेखन तथा प्रसार के किसी भी अन्य माध्यम से अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार है, जबतककि इससे व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहो, लेकिन यहसदैव सभी के लिए सच्ची औरवस्तुनिष्ठ जानकारी के अधिकार की गारंटी है।
प्रेस को प्राधिकरण या सेंसरशिप नहीं दी जा सकती तथा यहअलग-अलगराज्यों के नियमों के अधीन है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त होकर सत्य की अभिव्यक्ति की गारंटी देनी होगी।
लोगों को सूचना पाने का अधिकार है जिसका कभी भी दुरुपयोग नकिया जाए, ताकि उनका विवेक औरजागरूकता विकसित हो सके औरउन्हें कभी गुमराह नकिया जा सके।
यहअत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा औरगारंटी के लिए उसके वित्तपोषण के साधनों को ज्ञात किया जाए।
सार्वजनिक हित के प्रतिकूल मुद्रित प्रकाशन, प्रदर्शन औरअन्य सभी प्रदर्शनप्रतिबंधित किए जाएंगे।
प्रत्येक राज्य के कानून में उल्लंघनों को रोकने औरदबाने के लिए पर्याप्त उपाय स्थापित किए जाने चाहिए।

कला। 22.

किसी को भी राजनीतिक कारणों से कानूनी क्षमता, नागरिकता या नाम से वंचित नहीं किया जा सकता।

कला। 23.

कानून के अलावा कोई भी व्यक्तिगत या पैतृक दायित्व नहीं लगाया जा सकता।

कला। 24.

कोई भी व्यक्ति अपने वैध अधिकारों औरहितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई करसकता है।
कार्यवाही के प्रत्येक चरणऔरस्तर पर बचाव एकअनुल्लंघनीय अधिकार है।
गरीबों को किसी भी न्यायक्षेत्र में कार्य करने तथा अपना बचाव करने के साधन की गारंटी दी जाती है।
कानून न्यायिक त्रुटियों की मरम्मत के लिए शर्तें औसरीके निर्धारित करता है।

कला। 25.

कानून द्वारा पूर्व-स्थापित प्राकृतिक न्यायाधीश से किसी को भी हटाया नहीं जा सकता।
किसी को भी उसकानून के आधार पर दण्डित नहीं किया जा सकता जो कृत्य किये जाने से पहले लागू हुआ था। कानून द्वारा प्रदत्त मामलों को छोड़कर किसी पर भी सुरक्षा उपाय लागू नहीं किये जा सकते।

कला। 26.

किसी नागरिक के प्रत्यर्पण की अनुमति केवल वहीं दी जा सकती है जहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो। इसे किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक अपराध नहीं माना जा सकता।

कला। 27.

आपराधिक दायित्व व्यक्तिगत है।
अंतिम दोषसिद्धि तकप्रतिवादी को दोषी नहीं माना जाता।
दण्ड में मानवता की भावना के विपरीत व्यवहार नहीं किया जा सकता तथा इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को पुनः शिक्षित करना होना चाहिए। कानून द्वारा प्रदत्त मामलों को छोड़कर मृत्युदंड की अनुमति नहीं है।

कला। 28.

राज्य औरसार्वजनिक निकायों के अधिकारी औरकर्मचारी, आपराधिक, सिविल औरप्रशासनिक कानूनों के अनुसार, अधिकारों के उल्लंघन में किए गएकृत्यों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं।

शीर्षक ॥
नैतिक-सामाजिक संबंध

कला। 29.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" परिवार के अधिकारों को एकप्राकृतिक समाज के रूप में मान्यता देता है, जो विवाह औरनागरिक संघों पर आधारित है, जिसमें समान लिंग के सदस्यों के बीच संबंध भी शामिल हैं। विवाह पति-पत्नी की नैतिक औरकानूनी समानता पर आधारित है, जिसमें पारिवारिक एकता की गारंटी के लिए कानून द्वारा सीमाएं निर्धारित की जाती हैं।

कला। 30.

माता-पिता का यहकर्तव्य औरअधिकार है कि वे अपने बच्चों का भरणपोषण करें, उन्हें शिक्षित करें औरउनका पालन-पोषण करें, भले ही वे विवाहेतर संबंधों से पैदा हुए हों। माता-पिता की अक्षमता के मामलों में, कानून उनके कर्तव्यों की पूर्ति का प्रावधान करता है। कानून यहसुनिश्चित करता है कि विवाहेतर संबंधों से पैदा हुए बच्चों को हर कानूनी सुरक्षा मिले और
सामाजिक, वैध परिवार के सदस्यों के अधिकारों के अनुकूल। कानून पितृत्व औरमातृत्व की खोज के लिए नियम औरसीमाएं निर्धारित करता है।

कला। 31.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" आर्थिक उपायों औरअन्य प्रावधानों के साथ परिवार के गठन औरसंबंधित कर्तव्यों की पूर्ति की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें बड़े परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह मातृत्व, बचपनऔरयुवावस्था की रक्षा करता है तथा इसउद्देश्य के लिए आवश्यक संस्थाओं को बढ़ावा देता है।

कला। 32.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" स्वास्थ्य को व्यक्ति के मौलिक अधिकार औरसामूहिक हित के रूप में संरक्षित करता है, तथा निर्धन लोगों को मुफ्त, प्रत्यक्ष देखभाल के प्रावधान को बढ़ावा देता

है। जबतककानून द्वारा अपेक्षित नहो, किसी को भी विशिष्ट चिकित्सा उपचार लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कानून किसी भी मामले में मानव व्यक्ति के सम्मान के लिए निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करसकता।

कला। 33.

कला औरविज्ञान निःशुल्क हैं औरउनकी शिक्षा भी निःशुल्क है।
विश्व राज्य सामान्य शिक्षा नियमों का सुझाव देता है जिन्हें टेलीमेटिक समर्थन या संभावनाओं के अनुसार सभी को संबोधित किया जाना चाहिए। संस्थाओं औरनिजी व्यक्तियों को विश्व राज्य पर कोई लागत डाले बिना स्कूल औरशैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।

कला। 34.

स्कूल सभी के लिए खुला होना चाहिए.

शीर्षक III
आर्थिक संबंध

कला। 35.

संप्रभु विश्व राज्य "नया विश्व राज्य" काम करने के अधिकार औरव्यक्तिगत आत्म-साक्षात्कार, काम के सभी रूपों औरअनुप्रयोगों की रक्षा करता है।

कला। 36.

श्रमिक को अपने काम की मात्रा औरगुणवत्ता के अनुपात में पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, जो किसी भी स्थिति में उसके औरउसके परिवार के लिए स्वतंत्र औरसम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो। कार्य दिवस की अधिकतम अवधि कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। श्रमिक को साप्ताहिक विश्राम औरसवेतन वार्षिक अवकाश का अधिकार है, तथा वहइन्हें छोड़ नहीं सकता।

कला। 37.

कामकाजी महिला को पुरुष श्रमिक के समान अधिकार तथा समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त है। कार्य की परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि वह अपने आवश्यक पारिवारिक कार्य को पूरा कर सके तथा माँ औरबच्चे को विशेष एवं पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। अलगअलगराज्य के कानून वेतनभोगी

रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करते हैं। विश्व राज्य सभी रूपों में नाबालिगों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

कला। 38.

पृथ्वी पर प्रत्येक राज्य को अपने उननागरिकों को, जो काम करने में असमर्थ हैं तथा जिनके पास जीवनयापन के लिए आवश्यक साधन नहीं हैं, भरणपोषण औरसामाजिक सहायता का अधिकार प्रदान करना चाहिए।

श्रमिकों को दुर्घटना, बीमारी, विकलांगता, वृद्धावस्था, अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति में उनकी जीवन-यापन संबंधी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने औरसुनिश्चित करने का अधिकार है। विकलांगों औरअपंगों को शिक्षा औरव्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार है। निजी देखभाल निःशुल्क है।

कला। 39.

ट्रेड यूनियन संगठन स्वतंत्र है.

कानून द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार, स्थानीय या केंद्रीय कार्यालयों में पंजीकरण के अलावा ट्रेड यूनियनों पर कोई अन्य दायित्व नहीं लगाया जा सकता है।

पंजीकरण के लिए एकशर्त यह है कि संघ के कानून लोकतंत्र पर आधारित आंतरिक व्यवस्था स्थापित करें।

पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त होता है। वे अपने सदस्यों के अनुपात में संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हुए, उनश्रेणियों के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी प्रभाव वाले सामूहिक श्रम समझौते निर्धारित करसकते हैं, जिनके लिए समझौता संदर्भित है।

कला। 40.

हड़ताल करने के अधिकार का प्रयोग उसे विनियमित करने वाले कानूनों के दायरे में किया जाता है।

कला। 41.

निजी आर्थिक पहलनिःशुल्क है। इसे सामाजिक उपयोगिता के विपरीत या सुरक्षा, स्वतंत्रता या मानव गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से नहीं किया जा सकता।

अलगअलगराज्यों के कानून उपयुक्त कार्यक्रम औरनियंत्रण निर्धारित करते हैं ताकि सार्वजनिक और निजी आर्थिक गतिविधियों को सामाजिक उद्देश्यों के लिए निर्देशित औरसमन्वित किया जा सके।

कला। 42.

संपत्ति सार्वजनिक है या निजी। आर्थिक वस्तुएं ग्रह के अलग-अलग राज्यों, संस्थाओं या निजी व्यक्तियों से संबंधित होती हैं।

निजी संपत्ति को अलग-अलग राज्यों के कानूनों द्वारा मान्यता और गारंटी दी जानी चाहिए, जो इसे प्राप्त करने के तरीके, इसका उपयोग करने और इसकी सीमाओं को निर्धारित करते हैं ताकि इसका सामाजिक कार्य सुनिश्चित हो सके और यह सभी के लिए सुलभ हो सके।

कानून द्वारा प्रदत्त मामलों में सामान्य हित के कारणों से तथा प्रतिकर के अधीन निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है।

अलग-अलग राज्यों के कानून वैध और वसीयती उत्तराधिकार के नियम और सीमाएं तथा विरासत पर राज्य के अधिकार स्थापित करते हैं।

कला। 43.

सामान्य उपयोगिता के प्रयोजनों के लिए, अलग-अलग राज्यों के कानून सार्वजनिक उपयोगिता के लिए अधिग्रहण के निष्पादन के लिए बाजार मूल्य पर गणना की जाने वाली पर्याप्त क्षतिपूर्ति के साथ प्रावधान करसकते हैं, बशर्ते कि इनकार्यों में सर्वोपरि सामान्य हित की प्रकृति हो।

कला। 44.

मृदा और उप-मृदा का दोहन पर्यावरणीय स्थिरता की सीमाओं के भीतर प्रकृति के संरक्षण के अनुपालन में किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भावी पीढ़ियों को कोई नुकसान न हो।

कला। 45.

अलग-अलग राज्यों के कानूनों को सामाजिक सहयोग और शिल्प कौशल के कार्य को मान्यता देनी चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।

कला। 46.

प्रत्येक राज्य के कानून में श्रमिकों के विकास के अधिकार तथा उनके सभी अधिकारों के सम्मान को मान्यता दी जानी चाहिए, तथा कानूनों द्वारा निर्धारित तरीकों और सीमाओं के भीतर, जिन कम्पनियों के लिए वे काम करते हैं, उनके प्रबंधन में सहयोग करना चाहिए।

कला। 47.

अलग-अलग राज्यों के कानून सभी प्रकार की बचत को प्रोत्साहित और संरक्षित करते हैं; ऋण के प्रयोग को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित करना। विश्व राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी वित्तीय संरचना इस अधिकार को नुकसान न पहुंचाए, ऐसे हितों के पक्ष में जिनका उद्देश्य और व्यवहार व्यक्तियों और समस्त मानवता के लिए अहितकर, अवैध, अनैतिक, गैरकानूनी उद्देश्यों को पूरा करना है, केवल उन संगठनों के पक्ष में जो आपराधिक उद्देश्यों से कार्य करते हैं।

शीर्षक IV
राजनीतिक संबंध

कला। 48.

सभी नागरिक, पुरुष और महिलाएँ, मतदान कर सकते हैं। मतदान की अनुमति सभी को बिना किसी आयु सीमा के या ग्लोबल सिटिज़न्स असेंबली द्वारा किसी विशिष्ट कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु पर दी गई है।

मतदान व्यक्तिगत एवं समान, स्वतंत्र एवं गुप्त होता है। इसका पालन करना एक नागरिक कर्तव्य है।

यह कानून पृथ्वी पर रहने वाले नागरिकों के लिए मतदान के अधिकार के प्रयोग हेतु आवश्यकताओं और विधियों को स्थापित करता है तथा इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।

मतदान के अधिकार को सिविल अक्षमता, अपरिवर्तनीय आपराधिक सजा के परिणामस्वरूप या संगठनों के सिद्ध साधन के लिए कानून द्वारा इंगित नैतिक अयोग्यता के मामलों को छोड़कर सीमित नहीं किया जा सकता है जो आम भलाई के लिए अपनी दिशा बदलने की मांग करते हैं।

कला। 49.

सभी नागरिकों को विश्व राज्य की नीति निर्धारित करने और व्यक्तिगत राज्यों के प्रबंधन का मार्गदर्शन करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात कहने का अधिकार है।

कला। 50.

सभी नागरिक संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विधायी उपायों का अनुरोध करने या सामान्य आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं।

कला। 51.

कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, किसी भी लिंग के सभी नागरिक समानता की शर्तों के तहतसार्वजनिक कार्यालयों तकपहुंच सकते हैं। इसउद्देश्य से, विश्व राज्य महिलाओं औसुरुषों के बीच समान अवसरों को बढ़ावा देता है।

कला। 52.

ग्रह औराज्य की रक्षा नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। सैन्य सेवा को कानून द्वारा स्थापित सीमाओं औरतरीकों के भीतर अनिवार्य बनाया जा सकता है। इसके कार्यान्वयन से नागरिक की रोजगार स्थिति या राजनीतिक अधिकारों के प्रयोगपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
सशस्त्र बलों का संगठन शांति औरसभी की सामान्य भलाई की गारंटी की दिशा में होना चाहिए।

कला। 53.

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भुगतान क्षमता के अनुपात में सार्वजनिक व्यय में योगदान देना आवश्यक है।

कला। 54.

सभी नागरिकों का यहकर्तव्य है कि वे सामान्य भलाई के सिद्धांतों के प्रति वफादार रहें, तथा कानून औरसंविधान का सम्मान करें। सार्वजनिक कार्यों का दायित्व सौंपे गएनागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे कानून द्वारा स्थापित मामलों में शपथलेकर अनुशासन औरसम्मान के साथ उन्हें पूरा करें।

भाग II
राज्य संगठन

शीर्षक I
लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति
खंड I. लोकप्रिय भागीदारी

कला I 55.

प्रत्येक नागरिक राज्य के जीवन में भाग ले सकता है औरकानूनों का प्रस्ताव करसकता है, जिनका मूल्यांकन इससंवैधानिक चार्टर के प्रति उनकी निष्ठा के आधार पर प्रेसीडेंसी समिति द्वारा किया जाएगा औरफिर ग्लोबल सिटिज़न्स असेंबली द्वारा ऑनलाइन मतदान किया जाएगा। जो लोग स्पष्ट रूप से हितों के टकराव में हैं या विश्व राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण संगठनों के हथियार हैं, उन्हें ग्लोबल सिटिज़न्स असेंबली से औरमतदान से निलंबित या बाहर रखा जा सकता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई राष्ट्रपति कार्यालय या उसके द्वारा नियुक्त निकाय द्वारा शुरू की जाती है।

ग्लोबल सिटिज़न्स असेंबली को ऑनलाइन वोटिंग के लिए बुलाया गया है, ताकि उननिर्णयों पर विचार-विमर्श किया जा सके, जिन्हें राज्य के राष्ट्रपति कार्यालय संविधान द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुपालन में राज्य के लाभ के लिए क्रियान्वित करेगा।

कला I 56.

वैश्विक नागरिक सभा राज्य के व्यक्तिगत नागरिकों से बनी है।

कला I 57.

ग्लोबल सिटिज़न्स असेंबली को इससंवैधानिक चार्टर के सिद्धांतों के कार्यान्वयन का विरोध करने वाले गुप्त शक्ति समूहों द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

कला I 58.

प्रत्येक व्यक्ति नागरिक है यदि वह किसी विशिष्ट आवेदन के साथ राज्य में शामिल हुआ है, तथा बिना शर्त इससंवैधानिक चार्टर को स्वीकार किया है। मतदान की अनुमति सभी को बिना किसी आयु सीमा के या ग्लोबल सिटिज़न्स असेंबली द्वारा किसी विशिष्ट कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु पर दी गई है।

कला। 59.

जो भी गणतंत्र का राष्ट्रपति रहा है, वह एकमहान नागरिक है औरउसे आजीवन इसका अधिकार है, जबतककि वह इस्तीफा नहीं दे देता।

विश्व राज्य.

विश्व राज्य का राष्ट्रपति उन सभी नागरिकों को ग्रैंड सिटीजन, नाइट या अन्य सम्मान से सम्मानित कर सकता है, जिन्होंने सामाजिक, सैन्य, श्रम, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, स्वैच्छिक, साहित्यिक औरकिसी भी अन्य क्षेत्र में अपने उच्च गुणों के माध्यम से ग्रह को रोशनकिया हो।

खंड II. कानूनों का निर्माण.

कला I 60.

विधायी कार्य राष्ट्रपति औरब्यूरो द्वारा किया जाता है, तथा वैश्विक नागरिक परिषद द्वारा ऑनलाइन विचार-विमर्श किया जाता है। राष्ट्रपति औरब्यूरो द्वारा प्रचारित आपातकालीन उपायों के लिए ग्लोबल सिटिज़न्स काउंसिलद्वारा ऑनलाइन विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं होती है।

कला I 61.

कानूनों की पहलभी सरकार की है, जिस पर ग्लोबल सिटिज़न्स काउंसिल द्वारा ऑनलाइन विचार-विमर्श किया जाता है।

लोग अनुच्छेदों में तैयार परियोजना के प्रस्तावों के माध्यम से कानून बनाने की पहलकरते हैं, जिस पर विधानसभा द्वारा मतदान किया जाएगा।

शीर्षक II

विश्व राज्य का राष्ट्रपति

कला I 62.

राज्य के राष्ट्रपति का चुनाव नागरिक सभा द्वारा उसके सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। पहली बार कैव. नामित किया गया है. डॉ. साल्वातोर निकोलो फिलिपो फेरो इन्फ्रांका को उनकी सामाजिक औरनैतिक प्रतिबद्धता के सम्मान में तथा वास्तविक हितों के टकराव की अनुपस्थिति के लिए सम्मानित किया गया। उनका चुनाव, प्रत्येक नागरिक के नएविश्व राज्य की सदस्यता के अनुरोध में स्पष्ट रूप से स्वीकृत है।

कोई भी नागरिक जो पचास वर्ष की आयु तकपहुंच गया है औरनागरिक औरराजनीतिक अधिकारों का आनंद लेता है औरजिसने अपने जीवन में सामाजिक स्वयंसेवक कार्य सहित सामान्य भलाई के लिए ईमानदारी औरप्रेम का प्रदर्शन किया है, उसे विश्व राज्य का राष्ट्रपति चुना जा सकता है।

राष्ट्रपति का दान उनके विवेक पर निर्भर है, लेकिन उनकी गतिविधियां अभी भी निःशुल्क औरपूरी तरहसे स्वैच्छिक आधार पर संचालित होती हैं।

कला I 63.

गणतन्त्र का राष्ट्रपति जीवनपर्यन्त चुना जाता है।

उनकी मृत्यु के बाद, उनका उत्तराधिकारी वह होगा जिसे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित और सामित किया जाएगा, तथा ग्लोबल सिटिज़न्स असेंबली द्वारा अनुसमर्थन और ऑनलाइन अनुमोदन के बाद उसे चुना जाएगा।

कला। 64.

राज्य का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और विश्व एकता का प्रतिनिधित्व करता है।
आप नागरिक सभा को संदेश भेज सकते हैं। यह कानून लागू करता है तथा कानून और विनियमों के समान बलवाले आदेश जारी करता है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त मामलों में लोकप्रिय *जनमत संग्रह का आह्वान करता है।*
कानून द्वारा निर्दिष्ट मामलों में राज्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
यह राजनयिक प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करता है, उनका स्वागत करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन करता है।
वह वैश्विक सशस्त्र बलों की कमान संभालते हैं और सर्वोच्च रक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं।
वह न्यायपालिका की सुपीरियर परिषद और राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं।
वह क्षमादान दे सकता है तथा सजा कम कर सकता है।
यह विश्व राज्य का सम्मान प्रदान करता है।

कला। 65.

विश्व राज्य का राष्ट्रपति उन कानूनों को बढ़ावा दे सकता है जिन्हें विश्व राज्य की नागरिक सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

कला। 66.

राज्य का राष्ट्रपति विश्व राज्य के संवैधानिक चार्टर का गारंटर होता है।

कला। 67.

गणराज्य का राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन के दौरान किए गए किसी भी कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं है, सिवाय उच्च राजद्रोह या संविधान पर हमले के। ऐसे मामलों में नागरिक सभा द्वारा संयुक्त सत्र में अपने सदस्यों के पूर्ण बहुमत से उनपर महाभियोग लगाया जाता है।
अपना कार्यभार संभालने से पहले, गणराज्य का राष्ट्रपति विश्व राज्य के प्रति निष्ठा और संविधान का पालन करने की शपथ लेता है।

शीर्षक III

राज्य का संगठन

खंड I. सरकार

कला I 68.

राज्यों की परिषद पृथ्वी के अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी होती है तथा इसकी अध्यक्षता विश्व राज्य के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्य ग्रह की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करना और वैश्विक नागरिक सभा के प्रस्तावों का पालन करना है /

कला I 69.

विश्व राज्य की सरकार विश्व राज्य के राष्ट्रपति और मंत्रियों से मिलकर बनी होती है, जो मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं।
राज्य का राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके कार्यों और नियुक्तियों को समाप्त भी करसकता है।

कला I 70.

अपना कार्यभार संभालने से पहले, मंत्री विश्व राज्य के राष्ट्रपति के हाथों शपथ लेते हैं।

कला I 71.

सरकारी घटकों को वैश्विक नागरिक सभा को सूचित किया जाना चाहिए। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को ग्लोबल सिटिज़न्स असेंबली के कम से कम 60% सदस्यों द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसपर मतदान किया जाना चाहिए।

कला I 72.

विश्व राज्य का राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद सरकार की सामान्य नीति को निर्देशित करता है और इसके लिए जिम्मेदार होता है। यहराजनीतिक और प्रशासनिक दिशा की एकता बनाए रखता है, मंत्रियों की गतिविधि को बढ़ावा देता है और समन्वय करता है। मंत्रीगण सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के कार्यों के लिए तथा व्यक्तिगत रूप से अपने विभागों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

कला। 73.

मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष और मंत्री, भले ही वे पद पर नहीं रह गए हों, अपने कार्यों के निष्पादन में किए गए अपराधों के लिए किसी भी देश के सामान्य क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं।

सभी राज्य पद निःशुल्क हैं। दस्तावेजित एवं पूर्व में अधिकृत व्ययों के लिए संभावित प्रतिपूर्ति की संभावना है।

खंड II. लोक प्रशासन।

कला। 74.

सार्वजनिक कार्यालयों को ग्रह के अलग अलग राज्यों के कानूनी प्रावधानों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ताकि प्रशासन का सुचारू संचालन और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

कार्यालयों का संगठन अधिकारियों की क्षमता, शक्तियों और जिम्मेदारियों के क्षेत्रों को निर्धारित करता है।

लोक प्रशासन के पदों तक पहुंच प्रतिस्पर्धा, नियुक्ति और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से होती है।

कला। 75.

सार्वजनिक कर्मचारी अलग अलग राष्ट्रों और विश्व राज्य की सेवा में हैं।

खंड III. सहायक निकाय.

कला। 76.

राज्य परिषद, जिसके सदस्यों की नियुक्ति विश्व राज्य के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कानूनी और प्रशासनिक परामर्श का कार्य करती है।

नागरिक सभा को वैश्विक राज्य के व्यय को देखने का अधिकार है, जो राज्य के डिजिटल पोर्टल पर प्रकाशित होते हैं।

शीर्षक IV

न्यायपालिका

खंड I. क्षेत्राधिकार प्रणाली।

कला। 77.

न्याय ग्रह के अलग-अलग राज्यों द्वारा नागरिकों के नाम पर प्रशासित किया जाता है
न्यायाधीश केवल कानून के अधीन होते हैं।

कला। 78.

क्षेत्राधिकार संबंधी कार्य साधारण मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाता है, जो अलग-अलग देशों की न्यायिक प्रणाली के नियमों द्वारा स्थापित और विनियमित होते हैं।
विशेष मजिस्ट्रेटों का चुनाव विश्व राज्य के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो उपलब्ध सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक ड्रा द्वारा नाम लेते हैं, जो हितों के टकराव से रहित होते हैं और जो पूर्ण स्वैच्छिकता की भावना से बिना किसी पारिश्रमिक के अपनी कार्रवाई करते हैं। विशेष मजिस्ट्रेट स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं और मानवता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक भलाई और पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध किए गए अपराधों पर क्षेत्राधिकार रखते हैं। विश्व राज्य का राष्ट्रपति विशेष मजिस्ट्रेट परिषद का प्रमुख होता है।

कला। 79.

न्यायिक प्रणाली और प्रत्येक मजिस्ट्रेट पर नियम कानून द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यह कानून न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

कला। 80.

विशेष न्यायिक प्राधिकरण का न्यायिक पुलिस पर सीधा नियंत्रण होता है, जो विश्व पुलिस और विश्व सेना से मिलकर बनी होती है, जो अलग-अलग राज्यों में सेवारत व्यक्तिगत पुलिस और सशस्त्र बल एजेंटों से बनी होती है, जिन्होंने विश्व पुलिस और सशस्त्र बलों के घटकों के रूप में अपना कार्य करने के लिए स्वयं को उपलब्ध कराया है।

कला। 81.

विश्व राज्य का राष्ट्रपति न्याय औरसशस्त्र बलों की संबंधित सेवाओं के संगठन औरकामकाज के लिए जिम्मेदार होता है।

खंड II. अधिकार क्षेत्र पर नियम.

कला। 82.

विशेष न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार वैश्विक है औरयहमानवता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक भलाई औरग्रह की सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है।

आपराधिक कार्यवाही में, कानून यहसुनिश्चित करता है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को, यथासंभव शीघ्रता से, उसके विरुद्ध आरोप की प्रकृति औरकारण के बारे में गोपनीय रूप से सूचित किया जाए; अपने बचाव की तैयारी के लिए आवश्यक समयऔरपरिस्थितियां हों; न्यायाधीश के समक्ष, अपने विरुद्ध बयान देने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करने या पूछताछ करने का अधिकार रखता है, अभियोजन पक्ष के समान शर्तों के अधीन अपने बचाव में व्यक्तियों को सम्मन जारी करने औरउनसे पूछताछ करने का अधिकार रखता है तथा अपने पक्ष में साक्ष्य के किसी अन्य साधन को प्राप्त करने का अधिकार रखता है; यदि वहकार्यवाही में प्रयुक्त भाषा को समझ या बोल नहीं पाता है तो उसे दुभाषिए की सहायता लेनी होगी।

आपराधिक प्रक्रिया साक्ष्य निर्माण में प्रतिकूल कार्यवाही के सिद्धांत द्वारा संचालित होती है। अभियुक्त का अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के बयानों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता, जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से, हमेशा स्वेच्छा से अभियुक्त या उसके वकील द्वारा पूछताछ से बचता रहा हो।

यहकानून उनमामलों को नियंत्रित करता है जिनमें अभियुक्त की सहमति के कारण या वस्तुनिष्ठ प्रकृति की सिद्ध असंभवता के कारण या सिद्ध अवैध आचरण के कारण प्रतिकूल कार्यवाही में साक्ष्य का निर्माण नहीं हो पाता है।

सभी न्यायिक निर्णय तर्कपूर्ण होने चाहिए।

विशेष न्यायिक निकायों द्वारा सुनाए गएदंडों औरव्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रावधानों के विरुद्ध कोई अपील की अनुमति नहीं है, सिवाय विश्व राज्य के राष्ट्रपति के प्रस्ताव के, जो निर्णय की समीक्षा का अनुरोध करसकते हैं।

कला। 83.

सरकारी अभियोजक का दायित्व मुकदमा चलाना है।

कला। 84.

व्यक्तिगत राज्यों के लोक प्रशासन के कृत्यों के विरुद्ध, विशेष मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र वाले निकायों के समक्ष अधिकारों औरवैध हितों के न्यायिक संरक्षण की हमेशा अनुमति होती है। इसप्रकार के न्यायिक संरक्षण को अपील के विशेष माध्यमया कृत्यों की कुछ श्रेणियों तकसीमित या अपवर्जित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे विश्व राज्य की क्षमता के दायरे में ही होना चाहिए। कानून यहनिर्धारित करता है कि कौन से क्षेत्राधिकार निकाय कानून द्वारा निर्धारित मामलों और प्रभावों के अंतर्गत व्यक्तिगत राज्यों के लोक प्रशासन के कृत्यों को रद्द करसकते हैं।

शीर्षक V
संवैधानिक गारंटी

खंड I. संवैधानिक न्यायालय.

कला I 85.

विश्व राज्य का संवैधानिक न्यायालय, विश्व राज्य औरव्यक्तिगत राज्यों के कानून औरकृत्यों की संवैधानिक वैधता से संबंधित विवादों पर निर्णय देता है, जो मनुष्य के अनुल्लंघनीय अधिकारों और सामान्य भलाई की प्राप्ति तथा ग्रह की सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं।

कला I 86.

संवैधानिक न्यायालय में विश्व राज्य के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पंद्रह न्यायाधीश होते हैं जो इसके कार्यों का निर्देशन करते हैं औरइनका चयनसेवानिवृत्त या स्वयंसेवक मजिस्ट्रेटों की सूची में से किया जाता है, जिनका कोई हितों का टकराव नहीं होता है औरजो अपना कार्य निःशुल्क औरसेवा की भावना से करते हैं।

संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों का चयनसेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित सामान्य और प्रशासनिक उच्चतर अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेटों, विश्वविद्यालय में कानूनी विषयों के पूर्ण प्रोफेसरों औरबीस वर्षों के अभ्यास के बाद वकीलों में से किया जाता है।

संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सात वर्षों के लिए की जाती है, जो कि उनके शपथ ग्रहण के दिन से शुरू होता है, तथा उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

कार्यकाल समाप्त होने पर संवैधानिक न्यायाधीश पदपर बने रहने तथा अपने कार्य करने से मुक्त हो जाता है।

कला I 87.

जबन्यायालय ग्रह के किसी एकराज्य या विश्व राज्य के कानून या कानून का बलरखने वाले किसी अधिनियम की संवैधानिक अवैधता की घोषणा करता है, तो निर्णय के प्रकाशन के अगले दिन से कानून प्रभावी होना बंद हो जाता है।

न्यायालय का निर्णय कानून द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित औरसंप्रेषित किया जाता है।

कला I 88.

संवैधानिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील की अनुमति नहीं है।

खंड II. संविधान का संशोधन - संवैधानिक कानून।

कला। 89.

संविधान औरअन्य संवैधानिक कानूनों को संशोधित करने वाले कानूनों को राज्य के राष्ट्रपति द्वारा नागरिक सभा के वोट से पारित प्रस्तावों द्वारा अपनाया जाता है। संवैधानिक संशोधनों को 90% मतदान करने वाले नागरिकों के अनुरोध पर बढ़ावा दिया जा सकता है तथा दो अलगअलगमतदान सत्रों में 100% नागरिकों द्वारा इसके पक्ष में मतदान कराया जा सकता है।